

कृषि निदेशालय, बिहार।

संचिका सं०- 6/स्था० अन्य- 98/11- 1077 कृ०, पटना दिनांक 22-11-2017
आदेश

कृषि विभाग, बिहार, पटना के निर्गत अधिसूचना सं०- 2587 एवं 2589 दिनांक 30.07.17 के आलोक में बिहार कृषि सेवा के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण/सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप कार्य की मंहत्ता को देखते हुए निम्न पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त उनके नाम के सामने स्तंभ-3 में अंकित पद के कार्यों के संपादन करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है :-

क्र०	नाम एवं पदनाम	अतिरिक्त आवंटित कार्य
1	2	3
1	श्री संजय कुमार, संयुक्त निदेशक (शष्य), मुख्यालय, बिहार, पटना।	उर्वरक अनुज्ञप्ति।
2	डा० ब्रजेश कुमार, संयुक्त निदेशक(शष्य), फसल एवं प्रक्षेत्र, बिहार, पटना।	अंकेक्षण/अपीलीयप्राधिकार/विभागीय सभागार एवं किसान सलाहकार से संबंधित कार्य।
3	श्री अशोक प्रसाद, संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस, बिहार, पटना।	उर्वरक परिचालन।
4	श्री संजय कुमार, उप निदेशक (रसायन), मि०जांच प्रयोगशाला, बिहार, पटना।	नोडल पदाधिकारी, जैविक कॉरीडोर/जैविक कोषांग/परम्परागत कृषि विकास योजना।
5	श्री राम बाबू, उप निदेशक (शष्य), तेलहन, बिहार, पटना।	प्रभारी पदा०, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग।
6	श्री सनत कुमार दुबे, उप निदेशक (शष्य), जैविक खेती, बिहार, पटना।	कोर्ट केस से सभी मामलों में प्रतिशपथ पत्र दायर/विधानमंडलीय कार्यों की समीक्षा।
7	श्री राम गोपाल पांडेय, उप निदेशक (शष्य), योजना, बिहार, पटना।	उप निदेशक (शष्य), बीज निरीक्षण, बिहार, पटना।
8	श्री राकेश रंजन, उप निदेशक (शष्य), प्रशिक्षण, बिहार, पटना।	प्रशिक्षण से संबंधित कार्य।
9	डा० राजेश कुमार शर्मा, उप निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेसी, पटना।	उप निदेशक (शष्य), प्रक्षेत्र, बिहार, पटना।
10	श्री करुण कुमार सिन्हा, उप कृषि निदेशक (सांख्यिकी, बिहार, पटना।	कोर्ट में प्रतिशपथ पत्र दायर करना एवं प्रोटोकॉल पदाधिकारी।


- क्रमांक-2 में श्री अशोक प्रसाद, संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस, बिहार, पटना उर्वरक परिचालन से संबंधित संचिका सीधे कृषि निदेशक को उपस्थापित करेंगे। क्रमांक-3 में श्री संजय कुमार, उप निदेशक (रसायन), मिट्टी जांच प्रयोगशाला, बिहार, पटना संबंधित संचिका वरीय प्रभारी, जैविक कोषांग तथा श्री राम प्रकाश सहनी, वरीय प्रभारी परम्परागत कृषि विकास योजना के माध्यम से उपस्थापित करेंगे।
- उपर्युक्त के लिए पदाधिकारियों को अलग से कोई भी वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।
- उपरोक्त आदेश पत्र निर्गत की तिथि से तुरंत प्रभावी होगा।
- उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1077

कृ०, पटना 22-11-2017

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव /विशेष सचिव, कृषि के आप्त सचिव/सभी संबंधित पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक(शष्य)/मुख्यालय एव मीठापुर स्थित सभी पदाधिकारी/उप निदेशक (शष्य) सूचना/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित कार्यालय प्रभारी को सूचनार्थ प्रेषित।


22.11.17

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

